संख्या- 56/2021/843/सैंतीस-2-2021-1(7)/2017 टी.सी.

प्रेषक,

विनोद कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में ,

निदेशक ,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ-दिनांक :: मई, 2021

विषयः- **अनुदान संख्या-15 के अधीन उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना) योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट के समक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृति के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या -22/35-21/वे0का0/2021-22 दिनांक 08.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना) के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू-46.85 लाख (रू0 छियालीस लाख पच्चासी हजार मात्र) की धनराशि अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-:

मानक मद	**धनराशि (लाख में)**
01-वेतन	33.05
03-मंहगाई भत्ता	10.00
06-अन्य भत्ते	0.00
55-मकान किराया भत्ता	3.80
योग-	**46.85**

(रू0 छियालीस लाख पच्चासी हजार मात्र)

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्वान्तों (गाडलाइन्स) के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UPSHASHANADESH.COM

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय योजना के दिशा-निर्देशों व निमार्ण संबंधी कार्यों हेतु समय-समय पर संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

(6) प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/यथावश्यकता जेम पोर्टल के अर्न्तगत/माध्यम से किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय/व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22-03-2021 तथा शासनादेश दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-02-राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम-0210-उत्तर प्रदेश वेटरिनरी काउन्सिल (राज्य योजना) की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-5021-231/2021 ,दिनांक 22.03.2021 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

संख्या-56/2021/843/सैंतीस-2-2021-1(7)/2017 टी.सी.तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- वित्त नियंत्रक ,(नियोजन) निदेशकसंयुक्त/पशुपालन विभाग,उ0प्र ,0लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी,ज्वाहर भवन, लखनऊ एवं संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UPSHASHNADESH.COM